पत्र संख्या–21 / रा॰सू॰आ॰-07- / 2013,सा0प्र0 / 2013सा॰प्र॰....... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त विभाग द्वारा परामर्शित

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

द्वारा:– **वित्त विभाग।** पटना, 15 दिनांक..............................

विषय :– **राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध मे।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य में बिहार सूचना आयोग के गठन के उपरांत आयोग के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न पदों का सृजन किया गया है।

2. इस क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या 4116 दिनांक 08.05.2006 द्वारा अन्य पदों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में आयोग के "अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी" के एक पद का सृजन किया गया। पुनः स्वीकृत्यादेश संख्या 12382 दिनांक 05.12.2006 द्वारा "प्रशाखा पदाधिकारी" के एक और पद का सृजन किया गया। तदुपरांत स्वीकृत्यादेश संख्या 3645 दिनांक 03.04.2007 द्वारा पूर्व के स्वीकृत्यादेश संख्या 4116 दिनांक 08.05.2006 की कंडिका-(2) क्रमांक-(3) द्वारा स्वीकृत "अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी" पदनाम को विलोपित करते हुए "प्रशाखा पदाधिकारी" के एक स्वतंत्र पद का सृजन किया गया। इस प्रकार राज्य सूचना आयोग में अप्रैल, 2007 से ही प्रशाखा पदाधिकारी के दो पद सृजित हैं। (उक्त स्वीकृत्यादेशों की प्रति संलग्न)

3. वर्ष 2010 में बिहार सचिवालय सेवा के पदों के पुनर्निर्धारण के क्रम में भूलवश राज्य सूचना आयोग में प्रशाखा पदाधिकारी का एक ही पद चिह्नित करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्यादेश संख्या 3369 दिनांक 25.08.2010 निर्गत किया गया है। इस प्रकार नियमतः राज्य सूचना आयोग में सम्प्रति बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का एक ही पद चिह्नित / सृजित है जबकि वहाँ दो प्रशाखा पदाधिकारी कार्यरत हैं।

4. बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों के पुनर्निर्धारण संबंधी उक्त राज्यादेश संख्या 3369 दिनांक 25.08.2010 प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् निर्गत किया गया है, अतः उसे संशोधित किया जाना संभव नहीं है।

5. अतः राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

6. चूँकि उक्त पद पूर्व से सृजित है और राज्य सूचना आयोग में दो प्रशाखा पदाधिकारी कार्यरत हैं, अतः इस पद-सृजन के फलस्वरूप अलग से व्यय-भार नहीं होगा।

7. प्रशाखा पदाधिकारी के उक्त सृजित पद के व्यय का वहन पूर्ववत गैर योजना अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग कार्यालय के मुख्यशीर्ष"-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ-उपशीर्ष -00- लघुशीर्ष-092- अन्य कार्यालय-उपशीर्ष -0002- राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय" विपत्र कोड-एन॰ 2251000920002 के अन्तर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–21/रा॰सू॰आ॰–07/2013 सा0प्र0............./पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपिः–दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/रा॰सू॰आ॰–07/2013 सा0प्र0............./पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/रा॰सू॰आ॰–07/2013 सा0प्र0 579/पटना, दिनांक 13.1.16

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/आई॰ टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2016

सरकार के अपर सचिव।

Sanlekha Swikrityades